

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या 15/एम 1-10/2017

पटना, दिनांक

2017

विषय:- बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित हो रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में राज्य प्रावैदिकी शिक्षा पर्षद से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट अथवा 12वीं की योग्यता के समतुल्य मान्यता प्रदान करते हुए इस योजना में 35 विभिन्न पाठ्यक्रमों को आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना संख्या 489 दिनांक 24.03.2017 द्वारा बिहार राज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए क्रियान्वित हो रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में राज्य प्रावैदिकी शिक्षा पर्षद से निर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट अथवा 12वीं की योग्यता के समतुल्य मान्यता प्रदान करते हुए इस योजना में कुल 34 विभिन्न पाठ्यक्रमों को आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अधिसूचना में “34 विभिन्न पाठ्यक्रमों” के स्थान पर “35 विभिन्न पाठ्यक्रमों” संशोधित समझा जाए एवं उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में वर्णित विभिन्न पाठ्यक्रमों के क्रमांक 35 पर “M.B.A. and Equivalent Courses” सम्मिलित किया गया समझा जाए।

अधिसूचना में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/एम 1-10/2017

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कुलसचिव, राज्य के

सभी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० /-


(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या 15/एम 1-10/2017 - 682

पटना, दिनांक २६/५/2017

प्रतिलिपि:- राज्य में अवस्थित सभी अनुसूचित बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/श्री आर० के० दास, संयोजक, एस०एल०बी०सी० एवं क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर, ३ आई० इन्फोटेक लिमिटेड, मुम्बई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई०टी० मैनेजर को शुद्धि पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड किया जाए।


(बिनोद कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

२२